(२५)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2012-13 निगरानी - R-3219-PBR/13

श्री बी. कुमार पाण्डे आदि द्वारा आज दि. 24-8-13 को प्रस्तुत
24-8-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कलविंदर सिंह पुत्र श्री सुखादेव सिंह निवासी ग्राम करी झाँसी रोड डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
2. दलजीत सिंह पुत्र शिवदेव सिंह निवासी 163 पीस पांइट कॉलोनी लिम्बोदी तहसील इंदौर म.प्र. कृषक ग्राम करी तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

-प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामसखी पत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता
2. ममता पुत्री के के चतुर्वेदी
3. अभिषेक नाबालिग पुत्र कमलेश राजोरिया सरपरस्त पिता कमलेश राजोरिया
4. लोकुमल पुत्र बानामल आहूजा
5. मनोहर लाल पुत्र परसराम सिंधी
6. हरवंश लाल पुत्र वजीर चंद बत्रा
7. राजकुमारी पत्नी हरवंशलाल बत्रा
8. रवीन्द्र
9. प्रदीप पुत्रगण भागवान दास सचदेवा

10. अभय कुमार जैप पुत्र हजारी लाल जैन

11. नरेन्द्रजीत कौर वेबा शिवदेव सिंह निवासी ग्राम करा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

12. म.प्र.शासन -प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. के प्रकरण कमांक 24/12-13 अपील व उनमान दलजीत सिंह बनाम श्रीमती रामसखी आदि मे पारित आदेश दिनांक 12.8.2013

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -:

निगरानी के मुख्य तथ्य

1. यहकि ग्राम करा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. मे स्थित भूमि सर्वे कमांक 87,88,89,90,91 आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।

2. यहकि आवेदक कमांक 2 का आवेदक कमांक 1 मुख्त्यारआम रहा है उक्त भूमि के संबंध मे न्यायालय तहसीलदार डबरा के द्वारा बंटाकन प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3219-पीबीआर/13 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	